

एततीसगढ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
संज्ञासूचक

महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर

आदेश :-

05 SEP 2024

नया रायपुर भवन नगर, दिनांक

क्रमांक एक 17-83/2010/38-2 : राज्य-शासन एतद्वारा विभागीय पत्र दिनांक 30.08.2024 द्वारा शिक्षा विभाग/महाविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप स्नातक-स्तर पर संशोधन हेतु आयुक्त कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार विभाग द्वारा स्नातक-स्तर पर संशोधन के अकादमिक कैलेंडर में स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर हेतु निम्नानुसार संशोधन जारी किया जाता है :-

संशोधित स्नातक-स्तर पर

अकादमिक कैलेंडर 2024-25 (प्रथम सेमेस्टर हेतु)

क्र.	अकादमिक कार्य/गतिविधियां	निर्धारित तिथि	निर्धारित तिथि
1	प्रवेश की अंतिम तिथि	31.07.2024 तक	14.09.2024 तक
2	उत्पादों का आरंभ	01 अक्टूबर 2024 से	यथावत
3	महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु इनडोर कार्यक्रम का आयोजन	01 अक्टूबर 2024 से	यथावत
4	विद्यार्थियों द्वारा GE & VAC का चयन किया जाना	06.08.2024 तक	14.09.2024 तक
5	GE & VAC को संवार विभागीय की सूची विवरणिकाओं को प्रेषित किया जाना	09.08.2024 तक	18.09.2024 तक
6	संशोधित आंतरिक मूल्यांकन CIA अंतर्गत विद्यार्थियों को असाइनमेंट का आरंभ	30.09.2024	18.09.2024 तक
7	संशोधित आंतरिक मूल्यांकन CIA अंतर्गत प्रथम टेस्ट/विषय	03, 10, 11, 12 सितंबर 2024	23, 24, 25, 26 सितंबर 2024
8	संशोधित आंतरिक मूल्यांकन CIA अंतर्गत द्वितीय टेस्ट/विषय	21, 22, 23, 24 अक्टूबर 2024	11, 12, 13, 14 नवंबर 2024
9	संशोधित आंतरिक मूल्यांकन CIA अंतर्गत असाइनमेंट का मूल्यांकन	05 नवंबर 2024 तक	16 नवंबर 2024 तक
10	प्रायोगिक परीक्षाएं, परीक्षा पूर्व तैयारी निर्धारित तिथियां यथावत।	निर्धारित तिथि पर	निर्धारित तिथि पर

एततीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(राजेश कुमार शुभ)

अवर सचिव

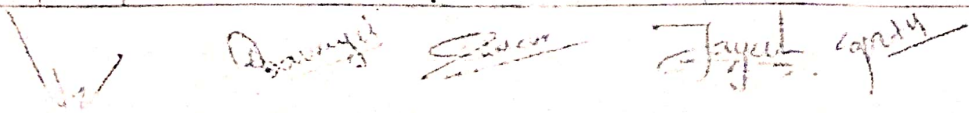
एततीसगढ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

निर्देश-2/1

उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन
शैक्षणिक सत्र 2024-25 का अकादमिक कैलेंडर
(वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा)

क्रं.	विवरण	तिथियाँ
1.	प्रवेश प्रक्रिया :-	
	(क) स्नातक प्रथम वर्ष	18.06.2024 से 31.07.2024 तक
	(ख) अन्य कक्षाओं हेतु रिक्त स्थान होने पर	18.06.2024 से 15.07.2024 या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त 10 दिन के भीतर
	(ग) प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से या शासन के निर्देशानुसार	
2	कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि	14 अगस्त 2024 तक
3	नियमित कक्षाएँ प्रारंभ	01.07.2024 से
4	वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन	मार्च 2025 के प्रथम सप्ताह से
5	सभी वार्षिक परीक्षा परिणामों की घोषणा	16.06.2025 तक
6	पुनर्भूल्यांकन के सभी परिणामों की घोषणा	16.08.2025 तक
7	पूरक परीक्षा का आयोजन	न्यूनतम समय में
8	पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा	31.10.2025 तक
9	छात्रसंघ गतिविधियाँ :-	
	(क) छात्रसंघ गठन प्रक्रिया एवं शपथ ग्रहण	24.08.2024 से 31.08.2024 तक छात्रसंघ गठन हेतु चुनाव/ मनोनयन शासन के निर्देशानुसार
10	खेलकूद एवं सांस्कृतिक, गतिविधियाँ :-	
	(क) खेलकूद प्रतिस्पर्धा प्रारंभ (इंडोर आउटडोर)	18.07.2024 से
	(ख) खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन (इंडोर आउटडोर)	20.12.2024 तक
	(ग) महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद (इंडोर आउटडोर) का वार्षिक आयोजन एवं पुरस्कार वितरण	19, 20 एवं 21 दिसम्बर 2024 में से कोई दो दिन
11	एन.सी.सी. / एन.एस.एस. एवं अन्य गतिविधियाँ :-	
	(क) वृक्षारोपण कार्यक्रम	जुलाई, 2024 के द्वितीय सप्ताह में
	(ख) महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन	20, 21 एवं 23 दिसम्बर 2024 में से कोई एक दिन
	(ग) एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कैम्प का आयोजन	23.12.2024 से 30.12.2024 तक
	(घ) दीक्षान्त समारोह	जनवरी-फरवरी 2025



क्रं.	विवरण	तिथियाँ
12	अवकाश :-	
	(क) दशहरा अवकाश (3 दिन)	10.10.2024 से 12.10.2024 तक
	(ख) दीपावली अवकाश (5 दिन)	29.10.2024 से 02.11.2024 तक
	(ग) शीतकालीन अवकाश (3 दिन)	26.12.2024 से 28.12.2024 तक
	(घ) ग्रीष्मकालीन अवकाश (1 माह)	16.05.2025 से 15.06.2025 तक
13	आंतरिक परीक्षाओं का कार्यक्रम :-	
	1 प्रथम यूनिट परीक्षा	28, 29, 30 अगस्त 2024
	2 द्वितीय यूनिट परीक्षा	24, 25, 26 सितंबर 2024
	3 तृतीय यूनिट परीक्षा	11, 12, 13 नवंबर 2024
	4 चतुर्थ यूनिट परीक्षा	12, 13, 14 दिसंबर 2024
	5 प्री-फाइनल परीक्षा	28, 29, 30 जनवरी 2025
14	वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम :-	
	1 वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन	फरवरी 2025 में
	2 वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन	मार्च 2025 प्रथम सप्ताह से

नोट:- अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने की स्थिति में महाविद्यालय अपने स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाए ताकि अकादमिक कलेंडर का पालन सुनिश्चित हो।

सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली

क्र.	अकादमिक कार्य	स्नातक / स्नातकोत्तर) (I/II/IV/VII/IX सेमेस्टर)	स्नातक / स्नातकोत्तर) (II/IV/VI/VIII/X सेमेस्टर)
1.	प्रवेश प्रक्रिया :-		
	प्रथम सेमेस्टर	18 जून से 31 जुलाई 2024 तक	—
	कुलपति के अनुमति से	14 अगस्त 2024 तक	—
	अन्य सेमेस्टर हेतु	18 जून से 15 जुलाई 2024 या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन के भीतर	—
प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से या शासन के निर्देशानुसार			
2	कक्षाओं का आरंभ	1 जुलाई 2024 से	02 जनवरी 2025 से
3	आंतरिक मुल्यांकन :-		
	प्रथम आंतरिक परीक्षा	21, 22, 23 अगस्त 2024	17, 18, 19 फरवरी 2025
	द्वितीय आंतरिक परीक्षा	24, 25, 26 सितंबर 2024	18, 19, 20 मार्च 2025
4	प्रायोगिक परीक्षाएँ	11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक	15 से 24 अप्रैल 2025 तक
5	परीक्षा पूर्व तैयारी	21 नवंबर से 27 नवंबर 2024 तक	25 से 30 अप्रैल 2025 तक

	अकादमिक कार्य	स्नातक / स्नातकोत्तर) (I/III/V/VII/X सेमेस्टर)	स्नातक / स्नातकोत्तर) (II/IV/VI/VIII/X सेमेस्टर)
6	लिखित परीक्षा	28 नवंबर 2024 से	01 मई 2025 से
7	इंटरनशीप	लिखित परीक्षा समाप्त होने के पश्चात्	लिखित परीक्षा समाप्त होने के पश्चात्
8	परीक्षा परिणाम	31 दिसम्बर 2024 तक	15 जून 2025 तक

नोट:- अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक प्रति सेमेस्टर 90 दिवसों से कम होने की स्थिति में महाविद्यालय अपने स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाए ताकि अकादमिक कलैण्डर का पालन सुनिश्चित हो।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की पात्रता :-

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की सेमेस्टर परीक्षाओं में प्रत्येक विषय के 2 आंतरिक मूल्यांकन में उपस्थिति अनिवार्य है।
3. एन.सी.सी./एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जायेगा।
4. छात्रों के उपस्थिति की प्रथम गणना वार्षिक परीक्षा प्रणाली में 30 सितम्बर तक की जायेगी एवं सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में 30 अगस्त/28 फरवरी तक की जायेगी।
5. छात्रों के उपस्थिति की द्वितीय गणना वार्षिक परीक्षा प्रणाली में 28 फरवरी तक की जायेगी एवं सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में 31 अक्टूबर/15 अप्रैल तक की जायेगी।
6. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालकों को सूचना दी जावेगी।

शिक्षक के कर्तव्य एवं निर्देश

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में 07 घण्टे रुकना आवश्यक होगा।

1. प्रातःकालीन पाली के लिए — प्रातः 07:30 से 02:30 अपरान्ह
2. द्वितीय कालीन पाली के लिए — प्रातः 10:30 से 05:30 संध्या
3. 07 घण्टे का कार्य विवरण —
06. घण्टे अध्ययन-अध्यापन कार्य (प्रायोगिक, ट्यूटोरियल, रेमेडियल, शोधकार्य, लाइब्रेरी वर्क शामिल है।)
- 1 घण्टा अन्य कार्य (खेलकूद, रिक्रियेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य, विद्यार्थियों का शंका समाधान, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्य)
4. समस्त प्रकार की बैठक/स्टॉफ कौंसिल की बैठक/कार्यक्रम दोपहर 03:00 बजे के पश्चात् आयोजित की जाये।
5. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन एवं मूल्यांकन से संबंधित कार्य का अनिवार्यतः निष्पादन करेंगे।

(Signatures)